(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 01/2019–20

दिलीप कुमार यादव ..... अपीलकर्ता

बनाम्

उमेश मरीक एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

30/03/2021 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2019–20 दिलीप कुमार यादव बनाम् उमेश मरीक एवं अन्य मौजा मोहरा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी.ए. वाद सं0 20/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उपभ पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा मोहरा एक प्रधानी मौजा है एवं मौजा के अंतिम प्रधान अपीलकर्त्ता के पिता बालकृष्ण मांझी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी को प्रधान नियुक्ति का प्रवधान है। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र होने के नाते मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत निम्न न्यायालय में पी0ए0 वाद सं0 20/2018–19 दायर किया। इस पर मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया जिसमें अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र होने के

(4)

नाते नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उन्हें मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु 16 आना रैयतों की सहमति है। किन्तु मौजा के चार व्यक्ति द्वारा अपीलकर्त्ता पर गलत आरोप लगाया गया कि वे मौजा के फौती दाग सं0 228 एवं 885 तथा परती दाग सं0 214, 813, 816, 818 एवं 76 को अवैध रूप से जोत आबाद करते हैं। इस पर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा 54 रैयतों के समक्ष जांच कर प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित किया गया। सभी रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की है एवं 16 आना रैयतों की ओर से इनके समर्थन में आवेदन भी दाखिल किया गया है किन्तु इसके बाबजूद भी निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के प्रधान नियुक्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी सं0 01 की ओर से दिनांक 26.03.2021 को लिखित बहस दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्हें मौजा के दाग सं0 379 में 02 बीघा 10 कठ्ठा जमींन पट्टा बन्दोबस्ती पूर्व प्रधान दुर्गा मांझी द्वारा वर्ष 1964 में मिला था जिसपर उत्तरकारी लगातार खेती–बाड़ी लगातार करते आ रहें है किन्तु आवेदक द्वारा उसपर सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया है। विरोध करने पर अपीलकर्त्ता एवं उनके पिता तिलकु मांझी द्वारा घर में धूसकर मरपीट किया गया एवं घर का आवश्यक सामान लूट लिया। इस संबंध में क्रिमिनल परिवाद सं0 1068/2017 अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका में लंबित है। उनके द्वारा

5

चुनाव के माध्यम से प्रधान नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी 16 आना रैयतों की ओर से आवेदन दाखिल कर अपीलकर्त्ता पर आरोप लगात हुए कहा है कि अपीलकर्त्ता द्वारा फौती दाग सं0 228 एवं 885 तथा परती दाग सं0 214, 813, 816, 818 एवं 76 को हड़प कर रखा है। अपीलकर्त्ता योग्य उम्मीदवार नहीं है। उनका विचार सही नहीं है तथा वे ईमानदार व्यक्ति नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए सं0प0 काश्ताकारी अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान की नियुक्ति किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश, 16 आना रैयतों द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 16 आना रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आपत्ति आवेदन पर जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा निम्न न्यायालय में पत्रांक–313/रा0 दिनांक 11.05.2019 द्वारा समर्पित किया गया है किन्तु जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा फौती दाग सं0 228 एवं 885 तथा परती दाग सं0 214, 813, 816, 818 एवं 76 को हड़प कर रखा गया है अथवा नहीं। चुँकि रैयतों का आरोप है कि अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत जमींन को हड़पकर रखा गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर उनका दावा बनता है किन्तु उन पर 16 आना रैयतों का आरोप है कि उनके द्वारा फौती दाग सं0 228 एवं 885 तथा परती दाग सं0 214, 813, 816, 818 एवं 76 को हड़पकर रखा गया है। अंचल अधिकारी के

(6)

प्रतिवेदन में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थित में 16 आना रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोपों के जांचोपरान्त ही उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि 16 आना रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोपों की विस्तृत जांचकर मौजा के प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका।
30/3/2021

उपायुक्त
दुमका।
30/3/2021

20/4/21

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:32:57 +05:30
Location: 169.254.227.244